

22 जुलाई, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 47वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 47.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर *	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स रेडियंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 20, एपीआईआईसी औद्योगिक पार्क, मुप्पेरिडुडीपल्ली गांव, तुपरन (मंडल), मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर तथा संबद्ध गतिविधियां	10.23	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स यूनिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम पखाजन, लिमडी, केसवान, पाडलपोर तथा ट्रंकाल, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात	बहु उत्पाद	1380	आंशिक (455 हेक्टेयर)	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 47.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

सह विकासक करार दिनांक 18 फरवरी 2011 के अनुसार बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.114 हेक्टेयर के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत मैसर्स मार्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में संयुक्त सचिव (एसईजेड) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। निदेशक (एसईजेड), सीबीडीटी एवं सीबीईसी के एक-एक प्रतिनिधि तथा विकास आयुक्त, कोचीन समिति के सदस्य हैं।

(ii) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेडुडी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड के अंग के रूप में टावर एच01ए और एच08 के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना में निवेश एवं विकास के लिए 1.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए सह विकासक करार दिनांक 7 अप्रैल 2011 के अनुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत मैसर्स हैदराबाद इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थिगत कर दिया गया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में संयुक्त सचिव (एसईजेड) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। निदेशक (एसईजेड), सीबीडीटी एवं सीबीईसी के एक-एक प्रतिनिधि तथा विकास आयुक्त, कोचीन समिति के सदस्य हैं।

(iii) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड का अनुरोध

16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। सह विकासक करार दिनांक 29 नवंबर 2010 के अनुसार विकासक द्वारा 33 साल की अवधि के लिए पट्टा पर दिए गए 1.30 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना जैसे कि सड़कों, भवनों, विद्युत प्रणालियों, चारदीवारी, जलापूर्ति के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थिगत कर दिया गया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में संयुक्त सचिव (एसईजेड) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। निदेशक (एसईजेड), सीबीडीटी एवं सीबीईसी के एक-एक प्रतिनिधि तथा विकास आयुक्त, कोचीन समिति के सदस्य हैं।

(iv) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थिगत कर दिया गया था)

सह विकासक करार दिनांक 28 अप्रैल 2011 के अनुसार विकासक से पट्टा पर लिए गए लगभग 21696 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का विकास करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में विकासक बनने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थिगत कर दिया गया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में संयुक्त सचिव (एसईजेड) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। निदेशक (एसईजेड), सीबीडीटी एवं सीबीईसी के एक-एक प्रतिनिधि तथा विकास आयुक्त, कोचीन समिति के सदस्य हैं।

(v) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक करार दिनांक 24 दिसंबर 2010 के अनुसार 2 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक को पट्टा पर दी गई भूमि के खाली होने की स्थिति के बारे में तथा इस बारे में भी विकास आयुक्त, वीएसईजेड से स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा कि क्या एसईजेड में यूनिट के रूप में मैसर्स एसीएन इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कोई हित है। तदनुसार प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को उपर्युक्त प्रेक्षणों के आलोक में नई सिफारिशें प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

इस मामले में विकास आयुक्त, वीएसईजेड से रिपोर्ट (अनुबंध 1) प्राप्त हो गई है, जिसमें विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि मैसर्स एसीएन को एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए 22 जुलाई 2009 को एलओए जारी किया गया था। मैसर्स एसीएन ने 4.00 करोड़ रुपए के निवेश से 30000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र (चरण 1) का सृजन किया है। इसके अलावा मैसर्स एसीएन ने निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए किसी सामग्री का आयात नहीं किया है तथा एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई छूट तथा लाभ भी प्राप्त नहीं किया है क्योंकि उन्होंने सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन किया था जो अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। मैसर्स एसीएन सह विकासक का दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहा है ताकि वे अपनी स्वयं की एसईजेड यूनिट के लिए अपेक्षित 10000 वर्गफीट के अधिभोग के बाद अन्य एसईजेड यूनिट को 20000 वर्गफीट का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र पर पट्टा पर दे सकें। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि मैसर्स एसीएन ने अपनी परियोजना के चरण 2 के अंग के रूप में 30000 वर्गफीट का निर्माण करने की योजना बनाई है जिसमें से वे 10000 वर्गफीट का अधिभोग अपनी स्वयं की यूनिट के लिए करना चाहते हैं और शेष 30000 वर्गफीट का क्षेत्रफल पट्टा पर देना चाहते हैं, इसलिए विकास आयुक्त ने सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी ने उपर्युक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 0.436921 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगभग 3 लाख वर्गफीट के एक टावर का निर्माण करके अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 8 जून, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पन्न एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

1023.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 अप्रैल, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट	कुल क्षेत्रफल
1.	एकीकृत डेयरी परियोजना	1	225 एकड़	225 एकड़

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। परियोजना के ब्यौरों के बारे में विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

(ii) जी. कोडुरु गांव, माकावरपलेम तालुक, विशाखापट्टनम जिला, तमिलनाडु में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनार्क एल्युमीनियम लिमिटेड का अनुरोध

113.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	यूनिट का कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फील्ड हॉस्टल सह निवास कार्यालय	55 कमरे	26.445	1454.5	2509
		कोरिडोर, सीढ़ी तथा अन्य	-	1054.5	

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

620.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड 1.50 मिलियन मीट्रिक टन स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल / क्षमता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अनलाइंड रॉक कैवर्न में स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल का भूमिगत भंडारण (जिसमें भूमिगत रॉक कैवर्न का निर्माण तथा भूतल से ऊपर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना शामिल है)	1	4,23,705.80 (104.7 एकड़)	क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

1	2	3	4	5
1	आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए स्थान (यूनिटों के लिए)	लागू नहीं	लागू नहीं	103100

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5
1	आवासीय गतिविधि (i) आवासीय अपार्टमेंट	लागू नहीं	लागू नहीं	30000
2.	वाणिज्यिक गतिविधि (i) वाणिज्यिक गतिविधियां, फूड कोर्ट, रिटेल, सर्विस अपार्टमेंट, अतिथि गृह तथा मल्टीप्लेक्स सिनेमा	लागू नहीं	लागू नहीं	12660
3.	सुविधा गतिविधि : छोटे बच्चों के लिए क्रेच, बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल, आईटी / आईटीईएस शैक्षिक संस्थान, आईटी / आईटीईएस प्रशिक्षण संस्थान तथा एसईजेड के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए आईटी / आईटीईएस व्यावसायिक संस्थान, एसईजेड कम्प्लेक्स के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए इंडोर गेम्स तथा क्लब, एसईजेड कम्प्लेक्स के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए योग तनाव प्रबंधन एवं निवारक स्वास्थ्य देखरेख केन्द्र, सम्मेलन के लिए ऑडिटोरियम आदि, एसईजेड कम्प्लेक्स के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए लघु अस्पताल, एसईजेड कम्प्लेक्स के स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वीमिंग पूल तथा बैकिंग एवं वित्तीय सेवाएं।	लागू नहीं	लागू नहीं	21100

विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21.59023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय / वाणिज्यिक / सामाजिक गतिविधियों से संबंधित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया। तथापि अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता के लिए आवश्यक प्रस्तावित सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता का सुनिश्चय करने तथा इस बात का भी पता लगाने का निदेश दिया गया कि इनका किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लोकेशन मैप भी प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।"

अब इस मामले में विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार विकासक ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें निम्नलिखित के लिए अनुमोदन की परिकल्पना है :

क्र. सं.	प्रस्तावित गतिविधि का नाम (पहले चरण में)	ग्राउंड कवरेज (वर्गमीटर में)				अपेक्षित एफएआर की मात्रा
		अनुदेश संख्या 30 के अनुसार अनुमत मात्रा (एनपीए में 5 हेक्टेयर पर प्रतिबंधित)	पहले संपूर्ण एनपीए के लिए आवेदन किया गया था	अनुमोदन बोर्ड की बैठक दिनांक 31 मई, 2011 के बाद संशोधित अनुरोध (पहले चरण में)	विकास आयुक्त द्वारा संस्तुत मात्रा	
1.	आवासीय गुप हाउसिंग	30000	64323	42500	30000	लागू एफएआर / एफएसआई राज्य नियमों के अनुसार होगा
2.	रिटेल कामर्सियल	7500	16080	5000	5000	
3.	सामाजिक अवसंरचना	12500	26800	2500	2500	
	कुल क्षेत्रफल	50000	107205	50000	37500	

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) पवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स का अनुरोध

12.5891 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हेलीपैड के निर्माण के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के अंदर अधिकृत गतिविधि के तहत हेलीपैड को शामिल करने का प्राथमिक कारण यह है कि एसईजेड की अनेक मौजूदा यूनिटों जैसे कि टीसीएस, विप्रो, नोमुरा, कोवांसिस, क्रिसिल, कॉग्नीजांट ने विकासक से हेलीपैड की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है क्योंकि इसका प्रयोग उनके अतिथि प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किया जा सकता है जिससे भारी ट्रैफिक जो मुंबई में आम बात है, के कारण यात्रा में समय की बचत होगी। विकासक ने यह भी बताया है कि इस सुविधा के प्रावधान से निकट भविष्य में ब्रांड मूल्य में वृद्धि भी होगी तथा रेंटल में सुधार होगा। विकासक ने यह भी कहा है कि वे हेलीपैड के लिए कोई इयूटी फ्री लाभ प्राप्त नहीं करेंगे।

14 जनवरी, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया क्योंकि प्रस्ताव की जांच करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता थी। अब इस मामले में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अन्य बातों के साथ सूचित किया है कि जिस भूमि पर हेलीपैड स्थापित करने का प्रस्ताव है वह इस समय एसईजेड का हिस्सा नहीं है। इस बीच विकासक ने अनुरोध किया है कि उसे हेलीपैड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है जिसके बाद भूमि के जिस खंड पर हेलीपैड प्रस्तावित है उसे एसईजेड में शामिल किया जाएगा।

एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हेलीपैड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गुडगांव, हरियाणा में 19.3037 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	पहले अनुमत की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुरोध की गई अतिरिक्त मात्रा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवश्यक वाणिज्यिक (युटिलिटी स्टोर / एटीएम / बैंक आदि)	2323	735
2.	फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट आदि	929	1071
3.	कनफ्रेंस की सुविधा	---	2000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	पहले अनुमत की गई	अनुरोध की गई
----------	-----------------------	------------------	--------------

		मात्रा (वर्गमीटर में)	अतिरिक्त मात्रा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवासन और/या सर्विस अपार्टमेंट	26467	60433
2.	कार्यालय स्थान + प्रशिक्षण केंद्र	30000	31537

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जो नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक है, का अधिकृत प्रचालनों के लिए का अनुरोध

1032.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड उक्त एसईजेड में 85.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामूहिक शयनकक्ष की सुविधा	8 ब्लॉक	689	8472
		8 ब्लॉक	370	
2.	ग्रोसरी ब्लॉक (कर्मचारियों के दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जैसे कि सब्जियां, फल, अनाज आदि)	1 ब्लॉक	192	192
कुल				8664

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम ओगनज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स कंबाईंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अपने प्रचालनों के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 08 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को उक्त एसईजेड में 0.6187 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब सह विकासक ने 0.2166

हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल का विकास करने के लिए अनुरोध किया है जिससे उसके प्रचालन का कुल क्षेत्रफल 0.8353 हेक्टेयर हो जाएगा। जहां तक क्षेत्रफल में प्रस्तावित वृद्धि के कारणों का संबंध है, सह विकासक ने सूचित किया है कि भवन तथा तदनुसार डिजाइन के आकार में वृद्धि के कारण भूमि की आनुपातिक आवश्यकता भी बढ़ गई है। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक तथा सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 28 अप्रैल 2010 (अनुबंध 6) भी किया गया है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

53.1809 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 01 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 46.3773 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 99.5582 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि आईटी / आईटीईएस सहित ज्ञान अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में परियोजना के विजन को साकार करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता है। शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। तथापि, भूमि एक जलपिंड द्वारा विभाजित हो रही है। विकासक ने तकनीकी एवं वित्तीय लाभप्रदता के अधीन ब्रिज तथा मोनोरेल कनेक्टिविटी का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम अदिबाटला, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एयरोस्पेस तथा प्रिंसीजन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 35.59 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 136.76 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि एसईजेड में स्थान के लिए अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड का अनुरोध

36.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 28 अगस्त 2008 को 1.31 हेक्टेयर का क्षेत्रफल विमुक्त किया गया। विकासक को 5.99 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का अनुमोदन भी प्रदान किया था जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 32.17 हेक्टेयर हो गया है। अब विकासक ने पुनः 7.63 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 24.54 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने सूचित किया है कि विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया गया है कि विमुक्तीकरण के बाद भी शेष क्षेत्रफल संस्पर्शी बना रहेगा तथा भूमि की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी होगी। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.5 : सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) आगरा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 दिसंबर, 2008 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 26 दिसंबर, 2008 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मेट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) जयपुर-अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 22 अगस्त, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 45.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 21 फरवरी, 2009 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 22 फरवरी, 2009 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मैट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) कुंडली गांव, सोनीपत, हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 दिसंबर, 2008 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 27 दिसंबर, 2008 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मैट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) मुरादाबाद-रामपुर एनएच 24, ग्राम चमरुआ, मौजा दलपतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 28 जून, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 27 दिसंबर, 2008 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 28 दिसंबर, 2008 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मैट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) मौजा ताजेय, तालुक भावेल, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 दिसंबर, 2008 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 26 दिसंबर, 2008 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मेट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) चेंगुलपट गांव, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में बहु उत्पन्न एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड को 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, एलओए दिनांक 02 जनवरी, 2007 के माध्यम से विकासक को मैसर्स मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक को समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। विकासक की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2009 तक वैध थी। इस प्रकार, सैद्धांतिक अनुमोदन 26 जून, 2009 से समाप्त हो चुका है।

अब विकासक ने कारण के रूप में आर्थिक मंदी, प्रत्यक्ष कर संहिता, मेट लगाया जाना आदि का उल्लेख करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.6 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापूर, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 13 फरवरी, 2009 के माध्यम से ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापूर, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने

के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। 25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 फरवरी 2012 तक बढ़ाई गई थी। अब विकासक ने बताया है कि आईटी / आईटीईएस में मंदी के वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण आईटी / आईटीईएस सेक्टर से स्थान के लिए पर्याप्त मांग नहीं है। विकासक ने यह भी बताया है कि मेट प्रावधान के तहत एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों पर कर लगाने के संबंध में बजट 2011 में हाल के प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिटें स्थापित करने से कोई राजकोषीय लाभ नहीं है और इसलिए परियोजना अब अलाभप्रद हो गई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि एसईजेड अधिसूचित नहीं है इसलिए कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम कोलतुर, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से ग्राम कोलतुर, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने बताया है कि वाणिज्यिक बातों तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कंपनी ने परियोजना से पीछे हटने का निर्णय लिया है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि एसईजेड अधिसूचित नहीं है इसलिए कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा एवं नगर हवेली में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स आलोक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 5 दिसंबर, 2007 के माध्यम से ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा एवं नगर हवेली में 73.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स आलोक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने बताया है कि कंपनी द्वारा संचालित बाजार सर्वेक्षण / प्छताछ के अनुसार परियोजना अलाभप्रद हो गई है। इसलिए प्रबंधन ने परियोजना से पीछे हटने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.7 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मौजा बनगाम और सरमास्टर चौक, जिला 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओवल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि बाजार की वर्तमान स्थितियों के आकलन तथा अर्थव्यवस्था में मंदी के अनुसरण में कंपनी का यह मानना है कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में एसईजेड स्थान के लिए मांग बहुत कम है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड में अभी तक निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ii) सेक्टर 106, ग्राम पावला खुसरूपुर, गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

11.6627 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में विलंब के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिसकी वजह से परियोजना का समयाधिक्य तथा लागत बढ़ी है और मेट भी लगाया गया है जिसकी वजह से भावी अधिभोक्ताओं को स्थान की पेशकश करने की गति धीमी पड़ गई है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने यह भी प्रमाणित किया है कि इस एसईजेड से एक भी यूनिट नहीं है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विकासक ने सेवा कर पर प्राप्त की गई छूट के लिए 834699 रुपए की समतुल्य राशि जमा की है। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि विकासक के विरुद्ध सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मद में कोई बकाया नहीं है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम पोथंडी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज का अनुरोध

10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 7 जुलाई, 2010 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने बाजार से कम रिस्पांस का उल्लेख करते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 37.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक सिटी चरण 3, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (केबीआईटीएस) का अनुरोध

37.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने उक्त एसईजेड को विमुक्त करने के कारणों के रूप में हाल की आर्थिक मंदी तथा कर ढांचा में परिवर्तन सहित विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि एसईजेड में विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए विकासक द्वारा कोई इयूटी लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) ग्राम रजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 217.14.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। उपर्युक्त एसईजेड चरणों में अधिसूचित किया गया था तथा इस समय 217.14.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित है। अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने इसके लिए कारण के रूप में अस्थिर एसईजेड नीति तथा मेट एवं डीडीटी लगाए जाने का हवाला किया है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम और नियमावली के तहत प्राप्त किए गए लाभों को लौटाने का वचन दिया है। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.8 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) हासन जिला, कर्नाटक में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर" से बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए मैसर्स ऑप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

101.171 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केआईएडीबी औद्योगिक विकास केन्द्र, डोड्डाबसवानाहल्ली तथा चिक्काबसवानाहल्ली गांव, शांतियाम होबली, हासन तालुक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 जून 2010 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड का सेक्टर बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण का संबंध है, विकासक ने बताया है कि हासन जैसे टियर 2 शहरों में आईटी / आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सेक्टर के लिए मांग कम है। चिकित्सा डिवाइसों तथा इंस्ट्रूमेंट के विनिर्माण की गुंजाइश बेहतर है। इसके अलावा कंपनी ने नए सेक्टर में यूनिटें स्थापित करने के लिए कुछ उद्यमियों से प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर 'रत्न एवं आभूषण' से बदलकर 'आईटी / आईटीईएस' करने के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 10.4550 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 22 दिसंबर 2010 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड का सेक्टर परिवर्तित करके "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि पहले जब परियोजना की परिकल्पना की गई थी तब रत्न एवं आभूषण सेक्टर में यूनिटें स्थापित करने के लिए अच्छा रिस्पांस था परंतु बाजार में मंदी के कारण अब यह बदल गया है तथा अनेक संभावित ग्राहक पीछे हट गए हैं। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी आईटी / आईटीईएस क्षेत्र की कंपनियों से बात कर रही है और यूनिटें स्थापित करने के लिए रिस्पांस मिलने लगा है। विकासक ने संभाव्यता अध्ययन भी कराया है तथा रिपोर्ट के अनुसार आईटी / आईटीईएस एसईजेड लाभप्रद होगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'मौजूदा एयरपोर्ट में एसईजेड' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड में गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'मौजूदा एयरपोर्ट में एसईजेड' करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकासक ने पहले एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' करने के लिए अनुरोध किया था तथा उस पर 31 मार्च 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया था।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार एसईजेड एयरपोर्ट के मुख्य प्रचालन क्षेत्र अर्थात् यात्री टर्मिनल भवन, एयरपोर्ट रनवे आदि का हिस्सा नहीं है। तथापि, एसईजेड आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.9 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मौजे पूनावाले, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूलेड सहित बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हरि फर्टीलाइजर्स लिमिटेड का अनुरोध

(iii) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम कक्कानाड, तालुक कानायन्नूर, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(vi) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

(vii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुण) लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गंजीमट्ट, ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) ग्राम चोक्कनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) ग्राम कुकटपल्ली, बालानगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xi) ग्राम मुधवीन, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xii) ग्राम खोडिया, हयात नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) ग्राम मामिडीपल्ली, सरूर नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) ग्राम अकुटोटापल्ली, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में टेक्सटाइल एवं अपैरल गारमेंट तथा फैशन एसेसरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xv) ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) ग्राम कोतवालगुडा, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xviii) ग्राम बचुपल्ली, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xix) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xx) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 47.10 : औपचारिक अनुमोदन की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) ग्राम महेश्वरम, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 111 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 111 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त 2009 को समाप्त हो चुकी है तथा विकासक से वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। अब विकासक ने 31 दिसंबर 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अनुरोध विकास आयुक्त, वीएसईजेड के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

मद संख्या 47.11 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम घाटा और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के दो प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 23 फरवरी, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में इन दो एसईजेड के विलय के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई। विलयित एसईजेड में 10.24 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल किए जाने की भी सूचना प्रदान की गई जिससे विलयित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 38.45 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकू मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएस फेब्रिक पावर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 235 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 229.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 09 अप्रैल, 2008 को 5.78 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 235.07 हेक्टेयर हो गया।

विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम जामिन पल्लावरम, चिंगलीपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.147 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 फरवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 जून, 2011 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि आईटी स्थान के लिए तत्काल मांग न होने के कारण परियोजना का विकास धीमी गति से हुआ है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक एसईजेड में कार्य की प्रमुख मर्दों को पूरा कर चुका है और अब तक 106 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है तथा परियोजना को लागू करने का इच्छुक है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) महादेवपुरा और कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, हवाईफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 3 जुलाई, 2007 के माध्यम से 14.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.2903 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 02 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि सतत आर्थिक मंदी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चर्म उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 107.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 101.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 04 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना पर काम चल रहा है तथा पहले यूनिट में उत्पादन एक साल के अंदर शुरू हो जाएगा। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम शिजरा किलाबंदी, तहसील बादशाहपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एंड प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 28.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 27.90 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 04 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) अनंतसागर गांव, हासनपार्ती मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वीआर एंटरप्राइजेज का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय

की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि प्रस्तावित डीटीसी विधेयक के कारण एसईजेड यूनिटों को राजकोषीय लाभों के बारे में अनिश्चितता से सामान्य निवेश परिवेश तथा निजी क्षेत्र के रणनीतिक साझेदार के लिए उनकी तलाशी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है जिसकी वजह से वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 05 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड भूमि का विकास करने के लिए मूल योजना को लागू न करने के कारण के रूप में वैश्विक मंदी का हवाला दिया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(x) गंगैकॉडन, तिरुनवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के दिसंबर, 2011 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xi) नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 49.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 फरवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के दिसंबर, 2011 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xii) ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 66.505 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और

इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xiii) इलांदैकुलम गांव, मदुरै I, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.705 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के दिसंबर, 2011 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xiii) वडापालनजी गांव, मदुरै दक्षिण तालुक और किन्नीमंगलम गांव, तिरुमंगलम तालुक, मदुरै II, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 86.465 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.12 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए दिनांक 16 जनवरी, 2006 के माध्यम से मंजूरी से अवगत कराया गया था। 3.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 15 जून, 2011 तक वैध थी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक को एक साल का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) टाडिपुडी गांव, कोव्वूर के पास, टल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हवाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 121.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 109.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2011 तक वैध थी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने 1 जुलाई 2011 तक की स्थिति के अनुसार 20.25 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विकास आयुक्त ने भी विकासक को एक साल का विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.13 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां

1.	मैसर्स प्लास्टीन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद, 100 हेक्टेयर	भंदाई, मेघापार कुंजीसर, भचाऊ तालुक, कच्छ जिला, गुजरात	एलओए दिनांक 10 मार्च, 2010 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। एलओए की वैधता अवधि 09 मार्च, 2011 को समाप्त हो गई है। विकासक ने भूमि का अधिग्रहण करने / क्रय करने तथा एसईजेड परियोजना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि भूस्वामियों के कारण कंपनी को संस्पर्शी भूमि प्राप्त करने में समस्याएं हो रही हैं। इसलिए भूस्वामियों के साथ भूमि क्रय विलेख निष्पादित करने में समय लगेगा। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने 10 मार्च 2011 से एक साल की अवधि के लिए अर्थात् 9 मार्च 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।
----	--	---	---	--

मद संख्या 47.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रत्न और आभूषण, 29 हेक्टेयर	रायपुर, छत्तीसगढ़	एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से मूल सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद, एलओए दिनांक 22 दिसंबर, 2009 के माध्यम से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 20 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने 20 जून 2012 तक एक और साल के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा कुछ औपचारिकताओं के बाद औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 47.15 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां
----------	---------------	-------------------	------------------	--------------

1.	मैसर्स साउथ कॉस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (स्किकैप)	भवन सामग्री, 118 हेक्टेयर	एनएच-5 प्रकाशन और नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश के बीच	<p>एलओए दिनांक 26 जून, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 50 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।</p> <p>विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।</p>
----	--	---------------------------	---	--

मद संख्या 47.16 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 9 मई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केवल एक्सपोर्ट्स जो केएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 9 मई 2008 के माध्यम से मैसर्स केवल एक्सपोर्ट को माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज पाउडर के निर्माण के लिए केएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 09 मई, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने सूचित किया है कि भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है तथा यूनिट ने पूंजी माल के लिए आर्डर भी दे दिए हैं और कुछ माल प्लॉट पर पहुंच भी गया है। इसके अलावा एक या दो माह में निर्माण पूरा हो जाएगा तथा अक्टूबर / नवंबर 2011 में यूनिट ट्रायल प्रोडक्शन आरंभ कर देगी।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, केएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 09 मई, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए (अर्थात् 09 मई, 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 21 जनवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 22 जनवरी 2008 के माध्यम से मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज को टेबलेट, कैप्सूल तथा ड्राई सीरप के निर्माण के लिए इंदौर एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 21 जनवरी, 2011 तक बढ़ाई

थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने सूचित किया है कि वैश्विक मंदी तथा कुछ अन्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण यूनिट निर्धारित समय में परियोजना को लागू करने में समर्थ नहीं हुई है। यह भी सूचित किया गया है कि यूनिट निर्यात के नए बाजारों में अपना निर्यात शुरू करने का प्रयास कर रही है तथा इस समय उसके पास 11.95 करोड़ रुपए मूल्य के आर्डर हैं जिसे जुलाई के अंत तक पूरा करना है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने एक साल का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 21 जनवरी, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए (अर्थात 21 जनवरी, 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 23 अप्रैल 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के माध्यम से मिहान एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 23 अप्रैल, 2011 तक बढ़ाई गई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि कुछ अप्रत्याशित अड़चनों के कारण वह सुविधा का निर्माण शुरू करने में असमर्थ है तथा समय सीमा के अंदर परियोजना लागू नहीं कर सकी।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए (अर्थात 23 अप्रैल, 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 25 मई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 26 मई 2008 के माध्यम से एरिमेशन साफ्टवेयर, पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन तथा बीपीओ के निर्माण एवं निर्यात के लिए मिहान एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 25 मई, 2011 तक बढ़ाई गई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने विकासक द्वारा कंपनी को आवंटित साइट पर निर्माण शुरू नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी ने विकासक को निर्माण ड्राइंग प्रस्तुत किया है तथा अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इस बीच यूनिट ने प्लाट की चारदीवारी के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 25 मई, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए (अर्थात 25 मई, 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.17 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों के निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) विधिक स्रोतों से खरीदे गए / आवंटित किए गए रेड सैंडल वुड से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स रॉकी रेड सैंडल वुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट, हैदराबाद का अनुरोध

मैसर्स रॉकी रेड सैंडल वुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट, हैदराबाद ने रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पादों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट / पार्ट्स, रेड सैंडर्स डाई, रेड सैंडर्स एक्सट्रैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर पार्ट्स आदि के निर्माण के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिट रेड सैंडर्स वुड से डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के निर्माण और निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग से रेड सैंडर्स वुड प्राप्त करना चाहती है। रेड सैंडर्स वुड (यूनिट के लिए कच्चा माल) वर्गीकरण कोड [आईटीसी का क्रमांक 154 (एचएस)] के अनुसार निर्यात के लिए निषिद्ध मद है। तथापि "आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण कोड (क्रम संख्या 155) के अनुसार रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे कि एक्सट्रैक्ट, डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स जो कानूनी स्रोत से प्राप्त किए गए रेड सैंडर्स वुड से निर्मित किए गए हैं, निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार, वन विभाग ने सरकारी आदेश संख्या 90 दिनांक 9 मार्च 2011 के माध्यम से मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट्स, हैदराबाद को सी ग्रेड के रेड सैंडर्स वुड का मीट्रिक टन आवंटित किया है।

अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के पैरा 3 के अनुसरण में डीटीए यूनिट अवसंरचना सुविधा स्थापित करने या यूनिट स्थापित करने के लिए एसईजेड यूनिट को निर्यात के लिए प्रतिबंधित मदों की आपूर्ति कर सकती है। यह रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग और ब्लेंडिंग को छोड़कर विनिर्माण के प्रचालनों के लिए एसईजेड

यूनिट को कच्चे माल की आपूर्ति भी कर सकती है। तथापि, इसके लिए अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

तदनुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने आंध्र प्रदेश वन विभाग से प्राप्त किए गए रेड सैंडर्स वुड से बने मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रॉकी रेड सैंडल वुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

(ii) विधिक स्रोतों से खरीदे गए / आवंटित किए गए रेड सैंडल वुड से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैदराबाद का अनुरोध

मैसर्स मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैदराबाद ने रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पादों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट / पार्ट्स, रेड सैंडर्स डाई, रेड सैंडर्स एक्सट्रेक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर पार्ट्स आदि के निर्माण के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिट रेड सैंडर्स वुड से डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के निर्माण और निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग से रेड सैंडर्स वुड प्राप्त करना चाहती है। रेड सैंडर्स वुड (यूनिट के लिए कच्चा माल) वर्गीकरण कोड [आईटीसी का क्रमांक 154 (एचएस)] के अनुसार निर्यात के लिए निषिद्ध मद है। तथापि "आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण कोड (क्रम संख्या 155) के अनुसार रेड सैंडर्स वुड के मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे कि एक्सट्रेक्ट, डाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स जो कानूनी स्रोत से प्राप्त किए गए रेड सैंडर्स वुड से निर्मित किए गए हैं, निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार, वन विभाग ने सरकारी आदेश संख्या 102 दिनांक 17 मार्च 2011 के माध्यम से मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैदराबाद को 374.278 मीट्रिक टन सी ग्रेड रेड सैंडर्स वुड तथा 693.508 मीट्रिक टन नॉन ग्रेड सैंडर्स वुड आवंटित किया है।

अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के पैरा 3 के अनुसरण में डीटीए यूनिट अवसंरचना सुविधा स्थापित करने या यूनिट स्थापित करने के लिए एसईजेड यूनिट को निर्यात के लिए प्रतिबंधित मदों की आपूर्ति कर सकती है। यह रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग और ब्लेंडिंग को छोड़कर विनिर्माण के प्रचालनों के लिए एसईजेड यूनिट को कच्चे माल की आपूर्ति भी कर सकती है। तथापि, इसके लिए अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

तदनुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने आंध्र प्रदेश वन विभाग से प्राप्त किए गए रेड सैंडर्स वुड से बने मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

(iii) मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जंबूसर, भडूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स पुनीत एगो इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव

1263.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त बहु उत्पाद एसईजेड 09 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स पुनीत एगो इंडस्ट्रीज ने दालों के निर्माण तथा पशु आहार के निर्माण, रिजेक्शन, टुकड़ी एवं छंटाई, रिपैकिंग तथा दालों, बासमती चावल, मसालों तथा गोसरी की वस्तुओं अर्थात् पापड़, राइस वैफर, राइस फ्लैक्स, पफ राइस,

राइस फ्लोर, ग्राम फ्लोर के व्यापार के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट के आवेदन को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने बासमती चावल, मसालों तथा ग्रेसरी की वस्तुओं अर्थात् पापड़, राइस वैफर, राइस फ्लैक्स, पफ राइस की छंटाई, रिपैकिंग तथा ट्रेडिंग के संबंध में अनुरोध को मंजूरी प्रदान की है।

यूनिट अनुमोदन समिति ने दालों तथा उनके उपोत्पादों के निर्माण तथा दालों, राइस फ्लोर एवं ग्राम फ्लोर की ट्रेडिंग के संबंध में अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अग्रेषित करने का निर्णय लिया है।

तदनुसार विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपर्युक्त निषिद्ध / प्रतिबंधित मर्दों के संबंध में यूनिट के अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.18 : वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युत के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) में यह प्रावधान है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश और निकास के निर्दिष्ट बिंदु होंगे तथा ऐसे उपायों के माध्यम से वे पूर्णतः सुरक्षित होंगे जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। नियम 11 (2) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि विकासक 240 सेंटीमीटर ऊंची दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है जिसके शीर्ष 60 सेंटीमीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी तथा प्रवेश और निकास का एकल बिंदु होगा तो अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने दूसरे प्रवेश / निकास बिंदु के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। बताया गया है कि सभी चार क्रियाशील यूनिटों के साथ कोयले का पानी खपत लगभग 8000 मीट्रिक टन प्रतिदिन है तथा सभी यूनिटों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 450 ट्क कोयला परिवहन के लिए लगाने पड़ते हैं जिनकी औसत क्षमता लगभग 18 टन है प्रति ट्क मानी जाती है। यह भी बताया गया है कि रेल रैक के अभाव में समूची मात्रा का परिवहन ट्क से होता है जिससे प्लांट परिसर के अंदर तथा एसईजेड के बाहर भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसलिए एसईजेड के अंदर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए खाली कोयला ट्कों के लिए अलग निकास गेट बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

अतिरिक्त गेट के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 47.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स वर्चुअल एंप्लॉई प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स वर्चुअल एंप्लॉई प्राइवेट लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (बीपीओ सेवाओं) के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन दिनांक 4 मार्च 2011 प्रस्तुत किया था। मैसर्स वर्चुअल एंप्लॉई प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर अनुमोदन समिति द्वारा 16 मई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया तथा इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि व्यवसाय की संकल्पना को समिति द्वारा आकर्षक नहीं पाया गया। समिति ने नोट किया कि प्रस्तावित यूनिट विदेशी ग्राहकों से बहुत कम आर्डर पर काम करेगी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न तो पर्याप्त एनएफई के अर्जन की संभावना है और न ही काफी मात्रा में रोजगार के सृजन की संभावना है। समिति ने पाया कि प्रमोटर्स कर लाभों के लिए नोएडा एसईजेड में अपने डीटीए प्रचालनों को शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा मुख्य प्रमोटर श्री नरेंद्र सिंह माहिल की मौजूदा डीटीए यूनिट का समान गतिविधि में निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं था। इसके अलावा समिति ने पाया कि आवंटन के लिए स्थान की उपलब्धता बहुत कम है तथा उपलब्ध शेड अधिक योग्य परियोजनाओं को आवंटित किए जाने चाहिए। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 24 मई, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स वर्चुअल एम्पाई प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सिटीक्सिस टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स सिटीक्सिस टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने साफ्टवेयर विकास एवं परामर्श के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन दिनांक 29 मार्च 2011 प्रस्तुत किया था। मैसर्स सिटीक्सिस टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर अनुमोदन समिति द्वारा 16 मई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि समिति परियोजना से प्रभावित नहीं हुई तथा उसे संदेह था कि एसईजेड से परियोजना कार्यान्वित की जाएगी या यूनिट आयकर से बचने के एक मात्र इरादे से आ रही है। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 30 मई, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स सिटीक्सिस टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।
